19-4-2024

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल चुनाराम पुत्र हंसाजी, जाति– वागरी, निवासी– सेलवाडा रोड, रेवदर, पुलिस थाना रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से वकील श्री प्रदीप कलावन्त। प्रकरण में गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल आले दर्जे का जुआंरी प्रवृति का है जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खेलाता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बाद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। गैरसायल के जुआं खेलने व खेलाना से आम जन, बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है तथा गैरसायल के विरुद्ध कोई व्यक्ति साक्ष्य देने

.....लगातार

L.T.I. चुनाराम

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with ACE Scanner

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 08 / 2024	नम्बर व तारीख जा हुक्म की तामिल में जारी हुए
	हेतु तैयार नही होता है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, रेवदर में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत 02 मुकदमें दर्ज हुये, जिनमें गैरसालय के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्मानें से दण्डित किया है। गैरसायल गुण्ड़ा प्रवृति का व्यक्ति है। अतः लोकहित में गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये सिरोही जिलें से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध दर्ज धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के मुकदमों में ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को न्यायालय ने दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 16.7.2022 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी शांतिभंग नही की है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो मजूदरी / ऑटो गेराज का काम कर अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल चुनाराम पुत्र हंसाजी, जाति– वागरी, निवासी– सेलवाडा रोड, रेवदर, पुलिस थाना रेवदर, जिला– सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना, रेवदर में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 82 दिनांक 27.6.2022 व अपराध संख्या 97 दिनांक 16.7.2022 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार उक्त दोनों मुकदमों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त दोनों अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व इन दोनों मुकदमों में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 82 दिनांक 27.6.2022 व अपराध संख्या 97 दिनांक 16.7.2022 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 20.7.2022 व 08.8.2022 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है। गैरसायल जुआं खेलता एवं [illegible] जाता है, जिससे आमजन एवं बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैरसायल गुण्ड़ा प्रवृति का व्यक्ति है। .....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:34 IST
Reason: Self Attested

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001

Scanned with ACE Scanner

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 08/2024	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

आदेश

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल चुनाराम पुत्र हंसाराजी, जाति– वागरी, निवासी– सेलवाडा रोड, रेवदर, पुलिस थाना रेवदर, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 20.4.2024 से 31.5.2024 तक की अवधि के लिये तहसील क्षेत्र, रेवदर से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के तहसील क्षेत्र, रेवदर की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। गैरसायल किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने कब्जे में नही रखेगा। गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाट बाजार, सिनेमाघार, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में दिनांक 23.4.2024 तथा 07.5.2024 को पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर में अपनी उपस्थिति देगा। थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों तारीख में गैरसायल की उपस्थिति दर्ज कर इसकी सूचना थानाधिकारी, पुलिस थाना, रेवदर को प्रेषित करेंगे। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा एवं इसी कदर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र एवं प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, रेवदर/आबूरोड शहर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. [illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with ACE Scanner